संख्याः 512 श्रमसेवा / 101–श्रम टीसी / 2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 25-2–2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु आयोजनागत पक्ष में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत मानक मद संख्याः 24 बृहत्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुनस्यारी,जनपद पिथौरागढ के छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर्स के भवन निर्माण हेतु धनराशि आंबटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 0392 / डी0टी0ई0यू0 / मुनस्यारी / भ0नि0 / कैम्प / 2003, दिनांक 17,नवम्बर,, 2003, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मुनस्यारी के छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर्स के भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन रूपये 54,05 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 43,99 लाख (रूपये तिरतालीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2003–04 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को दिनांक 31–3–04 तक समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये ।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो।

व्यय उसी मदों /प्रयोजनमें किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6– कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

8– टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु (1) से (8) तक में दर्शायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाय।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई की, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य का उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(7)–ए– निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(8) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

9–व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स टैण्डर विषयक नियमों एवं मितव्यतता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्यलेखाशीर्षक –2230,श्रम तथा रोजगार 03– प्रशिक्षण, आयोजनागत,796–ट्राइबल सब प्लान,03–दस्तकार प्रशिक्षण–मुनस्यारी,धारचूला,कालसी तथा तपोवन में आई0टी0आई0 आदि का निर्माण ,00– के अन्तर्गत मानक मद संख्याः 24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0:2554 /वि0अनु0–3/2004,दिनांक, 19,फरवरी– 2004 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 512 /श्रमसेवा/ 101–श्रम टीसी/ 2003, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– कोषाधिकारी, पिथौरागढ
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुनस्यारी ।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
6– निदेशक कुमांयू मण्डल विकास निगम नैनीताल को टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरान्त संशोधित की गयी प्रति सहित
7– वित्त अनुभाग–3
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव